

2024/627

निर्णय
17.12.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सरस्वती शिक्षण संस्थान बनाम कृष्णलाल आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 064 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
23.09.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 07.10.2024 को पेश हो। or	
25.9.2024	वकील प्रतिकर्षी ने पत्रावली-पत्र मित्राल पेशी पेश करने पर प्रजावली को पेशी में लिया गया। वृकुलाए फरीडेन उपखण्ड प्रतिकर्षी को 10/10/24 को जरिये वकील भावण कुमार उपखण्ड इलाका दफ्तर दवा पेशा किया जिसे शाखिल फारिल किया गया। प्रजावली वास्ते स्टेट एजज उपखण्ड तारीख 7.10.2024 को पेश हो। or	प्रजावली शाखिल द्वारा पत्र
7.10.2024	वकील प्रतिकर्षी ने पत्रावली-पत्र मित्राल पेशी पेश करने पर प्रजावली को पेशी में लिया गया। वृकुलाए फरीडेन उपखण्ड प्रतिकर्षी को 10/10/24 को जरिये वकील भावण कुमार उपखण्ड इलाका दफ्तर दवा पेशा किया जिसे शाखिल फारिल किया गया। प्रजावली वास्ते स्टेट एजज उपखण्ड तारीख 7.10.2024 को पेश हो। or	
6.12.2024	वकील प्रतिकर्षी ने पत्रावली-पत्र मित्राल पेशी पेश करने पर प्रजावली को पेशी में लिया गया। वृकुलाए फरीडेन उपखण्ड प्रतिकर्षी को 10/10/24 को जरिये वकील भावण कुमार उपखण्ड इलाका दफ्तर दवा पेशा किया जिसे शाखिल फारिल किया गया। प्रजावली वास्ते स्टेट एजज उपखण्ड तारीख 7.10.2024 को पेश हो। or	
17.12.2024	वृकुलाए फरीडेन उपखण्ड प्रतिकर्षी ने पत्रावली-पत्र मित्राल पेशी पेश करने पर प्रजावली को पेशी में लिया गया। वृकुलाए फरीडेन उपखण्ड प्रतिकर्षी को 10/10/24 को जरिये वकील भावण कुमार उपखण्ड इलाका दफ्तर दवा पेशा किया जिसे शाखिल फारिल किया गया। प्रजावली वास्ते स्टेट एजज उपखण्ड तारीख 7.10.2024 को पेश हो। or	



हनुमानगढ जिला न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी